बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना—15 दिनांक— 2.8 2. 2024 संख्या—3/एम0—31/2023—सा0प्र0— 3454 /भारत—संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नव—नियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अविध के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ |— (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- परिमाषाएँ |- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में-
 - (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - (ii) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नव-नियुक्त व्यक्ति (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर);
 - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
 - (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा / संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार;
 - (v) "विभाग" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्री विभाग;
 - (vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग;
 - (vii) "केन्द्रीय परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पर्षद के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;
 - (viii) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा;

- (ix) "प्रवेशकालीन प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है संबंधित नव-नियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण।
- 3. परिवीक्षा अविध |— आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अविध में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अविध में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- प्रशिक्षण |- (1) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को
 परिवीक्षा अविध में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
 - (2) प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
 - (3) प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा/संवर्ग के कर्मियों (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) के लिए एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जायेगा—
 - (क) प्रथम चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 02(दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme), जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ—साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों (आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सी०सी०ए० रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक / सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाभ, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली, विधिक प्रबंधन एवं न्यायालयीय प्रक्रिया आदि) एवं अन्य सम—सामयिक विषयों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भारत—दर्शन का भी प्रावधान किया जा सकता है।
 - (ख) द्वितीय चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 03(तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जायेगा। इस हेतु संबंधित नियंत्री विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा, जिनसे समन्वय स्थापित कर बिपार्ड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदण्ड (Module) निर्धारित किया जायेगा।
 - (ग) तृतीय चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 06(छः) माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र सम्बद्धता (Field Attachment), जिसका निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग—अलग किया

जायेगा। इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र में उन्हीं पदाधिकारियों के साथ सम्बद्ध किया जाय, जिनके दायित्व उनके सेवा से संबंधित दायित्वों से मिलते हों। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी को अपर समाहर्ता / भूमि सधार उप-समाहर्ता के साथ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ, अभियंता को कार्यपालक सहायक अभियंता के साथ आदि। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों से अपने सेवा से संबंधित विषयों पर कुछ प्रकल्प (project) तैयार करने की भी अपेक्षा की जायेगी। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा भविष्य में स्वतंत्र प्रभार में धारित किये जाने वाले पद की कार्य प्रकृति की जानकारी के लिए उसके अधीनस्थ पदों का स्वतंत्र प्रभार देकर प्रशिक्षित किया जायेगा। उदाहरण के लिए- राजस्व अधिकारी को एक माह को अंचल निरीक्षक के पद का तथा एक माह अमीन / राजस्व कर्मचारी के पद का स्वतंत्र प्रभार प्रशिक्षण के क्रम में दिया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में प्रशिक्षणार्थियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।

- (घ) चतुर्थ चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 01(एक) माह का अन्तिम सांस्थिक प्रशिक्षण, जिसे बिपार्ड द्वारा बिपार्ड में आयोजित किया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने प्रकल्प (project) पर प्रस्तुतीकरण (Presentation) देंगे। इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के विभिन्न विभागों में भी सम्बद्ध किया जायेगा।
- (4) तृतीय चरण के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रशासी विभागों द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग—अलग नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा। सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों एवं बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों के लिए नियम पुस्तिका (Manual) तैयार करने की कार्रवाई की जायेगी।

(5) राज्य सरकार में नव-नियुक्त चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा।

- · (6) अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा/संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि/चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
- 5. सेवा सम्पुष्टि |— परिवीक्षा अविध में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा संबंधित सेवा / संवर्ग नियमावली में सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के उपरान्त सरकारी सेवक की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।
- 6. शिथितिकरण की शक्ति |— जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

- 7. अभिभावी प्रभाव | राज्य सरकार की किसी सेवा / संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा ।
- 8. निर्वचन। इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
- निरसन एवं व्यावृत्ति ।— (1) राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमाविलयों के संगत प्रावधान निरिसत समझे जायेंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विभाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।
 - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियमावली / परिपत्र / आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ० बीट राजन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-31/2023-सा0प्र0-....34.54.../पटना-15, दिनांक- 28·2·2+ प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।

(डॉ0 बी0 र्स्जिन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—3/एम0—31/2023—सा0प्र0— 3454/पटना—15, दिनांक—28-2-24 प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ0 बी0 राजेन्ट्रर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-3/एम0-31/2023-सा0प्र0-.... 3.4-5.4-/पटना-15, दिनांक-28·2·24 प्रतिलिपि- सचिव, राज्यपाल सचिवालय/सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय/ सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 28 2 2024

संख्या—3/एम०—31/2023. 3455./ अधिसूचना संख्या 34-54 दिनांक— 28:2:24का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 बी0 राजेन्दर) सरकार के प्रधान सचिव।

Government of Bihar General Administration Department

:: NOTIFICATION ::

In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the probation period of newly appointed government servents-

- Short title, extent and commencement.— (1) These Rules may be called as the "Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024."
 - (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
 - (3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions.— In these Rules, unless otherwise required in the context,—
 - (i) "State Government" means the State Government of Bihar;
 - (ii) "Government Servant" means a person newly appointed, in the service of the Government of Bihar (except Bihar Judicial Service), according to the provisions prescribed in the relevant service/cadre rules;
 - (iii) "Appointing Authority" means the appointing authority as prescribed in the concerned service/cadre rules, constituted for the post held by the concerned Government servant;

- (iv) "Cadre Controlling Authority" means the cadre controlling authority as prescribed in the concerned service/cadre rules constituted for the post held by the concerned Government servant.
- (v) "Department" means the controlling department of the Government servant under consideration under these rules;
- (vi) "Commission" means the Bihar Public Service Commission/Bihar Technical Service Commission/Bihar Staff Selection Commission or any other Commission constituted by the Government for recruitment of government employees;
- (vii) "Central Examination Committee" means the Central Examination Committee under the control of the Board of Revenue for the conduct and regulation of departmental examinations for Government servants appointed to various posts;
- (viii) "Departmental Examination" means the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee for the post held by the Government servant concerned;
- (ix) "Induction Training" means the induction training as prescribed for the post held by the newly appointed government servant concerned.
- 3. Probation period.— The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, will be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.
- 4. Training.— (1) A government servant appointed to the service on the recommendation of the Commission will have to undergo induction training as prescribed by the department during the probation period.
- (2) During the training period, the concerned government servant will also have to pass the examination as prescribed by the training institute.
- (3) The duration of induction training will be of 01 (one) year. The one year induction training for all service/cadre employees (except Bihar Judicial Service) selected by the Commission will be divided into the following stages-
 - (a) First Phase—Institutional Orientation Program of 02 (two) months for all services/cadres, will be organized by Bipard. Along with the personality development of the trainees, training regarding the general rules (Conduct Rules, Bihar Service Code, CCA Rules, Traveling Allowance Rules, Right to Information, Right to Bihar Public Services, Court Procedure, Legislation Making Procedure, Public/Service Grievance Redressal, Bihar Executive Rules, Retirement Benefits, Bihar Pension Rules, Bihar Finance Rules, Litigation Management and Court proceedings etc) and other contemporary subjects

prevalent in the state government, will be imparted in this phase. Bharat Darshan will also be organised for trainees in this phase.

- (b) Second phase— Service related specific training for 03 (three) months for all services/cadres, which will be organized by the concerned cadre controlling department in Bipard or in their own training institute. A nodal officer will be nominated by the concerned controlling department. Bipard will decide the module for training in this phase in consultation with this nodal officer.
- (c) Third phase— Service related 06 (six) months field attachment for all services/cadres, will be decided separately by the concerned cadre controlling department in co-ordination with Bipard. It will be taken into consideration that the trainees should be associated with only those officials in the field, whose duties match with their service related duties. For example, the Revenue Officer should be attached with the Additional Collector/DCLR, the Block Development Officer should be attached with the Deputy Development Commissioner, Assistant Engineer should be attached with Executive Engineer etc. The trainees will also be expected to prepare some projects on topics related to their respective services. In this phase, the trainees should be given independent charge of the posts, subordinate to the post on which he was appointed, to make him familiar with the job requirement of the post to be held by him. For example, a Revenue Officer shall be given independent charge of the post of Circle Inspector and Amin/Revenue employee for one month each as part of training. The provision for giving independent charge of BDO and CO during training is already prevalant for probationers of Bihar Administrative Service.
- (d) Fourth phase— Final institutional training of 01 (one) month for all services/cadres will be organized by BIPARD in BIPARD. In this phase, the trainees will give a presentation of their project work. In this phase, they will also be attached to various departments of the Secretariat for secretariat training.
- (4) For the third phase of training, separate manuals will be prepared by all the administrative departments in coordination with Bipard. The Secretary, Building Construction Department will prepare rule book (manuals) for all works departments in co-ordination with other works departments and Bipard.
- (5) Health Department will prepare rule book (manuals) for Doctor appointed in the State Government in co-ordination with Bipard.
- (6) The cadre contolling department may suitably amend the training period/phase for non-gazetted employees as per the specific requirement of service/cadre.
- 5. Service Confirmation The service of the government employee shall be confirmed after satisfactory completion of the probation period, completion of prescribed induction training, passing in all the papers of prescribed departmental examination and fulfilling other conditions prescribed for service confirmation in the relevant service/cadre rules.
- 6. Power to relax.- The government may relax any provision of these Rules, where the government is satisfied that there are good and sufficient reasons, to be recorded in writing, for the same.

- Over-riding effect.- Notwithstanding any provision contained contrary to the 7. provisions of these Rules, in a Service/Cadre Rules of the State Government, the provisions of these Rules shall have over-riding effect.
- Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter will be referred to the General Administration Department, and the decision of the department, after consultation with the Law Department, shall be final.
- Repeal and Saving. (1) The related provisions of relevant Cadre Rules of the 9. State Government shall be deemed to be repealed. The concerned Department shall amend the relevant Cadre Rules accordingly after getting it vetted by the Law Department.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken, under the provisions of the previous resolution/instructions, will be deemed to be done or taken under these Rules, as if it were come into force on such day, on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar (Dr. B. Rajendar)

Principal Secretary to the Government

Memo No.-3/M-31/2023-GAD- 3454 / Patna-15, Dated 28:2:24

Copy forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

(Dr. B. Rajendar)

Principal Secretary to the Government

Memo No.-3/M-31/2023-GAD- 34-54 / Patna-15, Dated 28:2:24

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/All Additional Chief Secretary/ Secretary/Secretary/All Head of the Departments/All Divisional Principal Commissioner/All District Magistrate for information and necessary action.

(Dr. B. Rajendar)

Principal Secretary to the Government

Memo No.-3/M-31/2023-GAD- 3454 / Patna-15, Dated 28: 2:24

Secretary, Governor Secretariat/Secretary, Office of Copy forwarded to Lokayukat/Secretary, Bihar Legislature Assembly/Secretary, Bihar Legislature Council/Secretary, Bihar Public Service Commission/ Secretary, Bihar Technical Service Commission/Secretary, Bihar Staff Selection Commission for information and necessary action.

(Dr. B. Rajendar

Principal Secretary to the Government